न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

———

प्रकरण कमांक निग0 4083–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.8.13 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 123/अपील/2011–12.

———

1– बहादुरसिंह
2– घनश्याम
पुत्रगण श्री सुन्दरलाल
निवासी ग्राम मसूदपुर
तह. गंजबासौदा जिला विदिशा ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रेमसिंह पुत्र मिश्रीलाल
2– रामकृष्ण पुत्र स्व. श्री भगतसिंह
निवासी ग्राम मसूदपुर
तह. गंजबासौदा जिला विदिशा
3– मीराबाई पुत्री मिश्रीलाल पत्नि भैंरोसिंह
नि. ग्रा. कन्जेला तह. ग्यारसपुर जिला विदिशा
4– पानबाई पत्नि स्व. श्री भगतसिंह
ग्राम मसूदपुर तह. गंज बासौदा
जिला विदिशा
5– लक्ष्मीबाई पुत्री भगतसिंह पत्नि गनेशराम
नि. ग्राम. मलियाखेड़ी तह. सिंरोज जिला विदिशा
6– मायाबाई पुत्री भगतसिंह पत्नि लालाराम
नि.ग्राम मिर्जापुर तह. बासौदा जिला विदिशा
7– रामवतीबाई पुत्री भगतसिंह पत्नि रघुवीरसिंह
नि. ग्राम सकतपुर तह. नटेरन जिला विदिशा
8– उमाबाई पुत्री भगतसिंह पत्नि सीताराम
नि. ग्राम देवखजूरी तह. नटेरन जिला विदिशा
9– सुन्दरलाल पुत्र भूरा जी
10– फूलाबाई पुत्री भूरा जी पत्नि स्व. श्री ललीराम
निवासीगण ग्राम मसूदपुर
तह. बासौदा जिला विदिशा ——— अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री डी.डी. मेघानी ।
अनावेदक क्र. 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव ।
अनावेदक क्रमांक 9 एवं 10 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक माखीजा ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04-06-2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 123/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26–8–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 110 के तहत ग्राम मसूदपुर तहसील वासौदा, ग्राम चक्क मसूदपुर तथा ग्राम थनवास स्थित प्रश्नाधीन भूमियों पर मृतक जगन्नाथ के स्थान पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आपत्तियां आमंत्रित की गई एवं पटवारी से मृतक जगन्नाथ के वारिसों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान मृतक जगन्नाथ के भाई मिश्रीलाल के पुत्र अनावेदक प्रेमसिंह व मृतक के भाई खुशीलाल के नाती रामकृष्ण आ. भारतसिंह द्वारा आपत्ति पेश की गईं । विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही उपरांत सम्पूर्ण भूमि पर आवेदकों का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की गई । एस.डी.ओ. ने दिनांक 29.2.12 को आदेश पारित करते हुए ग्राम मसूदपुर स्थित मृतक जगन्नाथ के हिस्से की भूमि पर वसीयतग्रहीता के नाम तथा ग्राम चक्क मसूदपुर एवं थनवास स्थित भूमियों पर सजरा अनुसार विधिक वारिसानों के नाम नामांतरण स्वीकार कर पटवारी अभिलेख में प्रविष्टि अंकित करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 9 एवं 10 की ओर से लिखित तर्क पेश किए गए हैं ।

4/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 9 एवं 10 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण के संबंध में है । विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया गया था । जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम मसूदपुर स्थित भूमि पर वसीयतग्रहीता के नामांतरण के आदेश दिए तथा ग्राम चक्क मसूदपुर एवं थनवारा की भूमि पर सजरा अनुसार विधिक वारिसों के नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायायलय द्वारा प्रकरण में सभी संयुक्त खातेदार जो कि हितबद्ध पक्षकार हैं, उन्हें न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सूचना पत्र जारी किया गया । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रकरण में जो वसीयत है उसमें मृतक जगन्नाथ ने उल्लेख किया है कि " **मेरे मरने के बाद मेरी सम्पूर्ण चल अचल संपत्ति स्थित ग्राम मसूदपुर के भूमिस्वामी मालिक काबिज मेरे भतीजे वसीयत ग्रहितागण समान रूप से होंगे ।** " इस वसीयत में ग्राम चक्क मसूदपुर एवं थनवारा का उल्लेख नहीं है । उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर